



Date: 06.12.2023

To,
Deputy Director General of Forests (C),
Integrated Regional Office, RAIPUR
Ground Floor, Aranya Bhawan, North Block, Sector- 19,
Naya Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh – 492002

Sub: Proposed Integrated Cement Plant - Clinker (3.25 MTPA), Cement (2.5 MTPA), WHRS (15 MW) and D.G. Set (1000 KVA) at Village: Kharora, Tehsil: Kharora (Earlier Tilda), District: Raipur, Chhattisgarh by M/s. Dalmia Cement (Bharat) Ltd.-**Submission of Half-Yearly Compliance-reg.**

Ref: Environmental Clearance (EC) granted by MOEFCC, Govt. of India (EC Identification No. - EC23A009CG198000; File No. - IA-J-11011/163/2019-IA-II (IND-I); Dated: 16/03/2023

Dear Sir,

With reference to above subject matter and referred letter, we would like to mention that No activity is initiated as the associated Mining Lease is yet to granted by the Govt. of Chhattisgarh. Site preparation activity along with detailed engineering and ordering of plant machineries will be initiated once the mining lease is granted, executed and registered.

We are herewith submitting point wise Half-Yearly Compliance report of conditions laid down in Environment Clearance for the period **April**, **2023 to September**, **2023** for your kind perusal and record.

Thanking You

Yours faithfully,

For Dalmia Cement (Bharat) Ltd.

(V Karthikeyan)

Deputy Executive Director

Encl: As Above

CC:

- 1) The Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Integrated Regional Office, Aranya Bhawan, North Block, Sector-19 Naya Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh 492002.
- 2) The Regional Directorate, Central Pollution Control Board (CPCB-Central Zone), Parivesh Bhawan, Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal-462016.

HALF YEARLY COMPLIANCE REPORT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

APRIL 2023 TO SEPTEMBER 2023

EC Identification No. - EC23A009CG198000; File No. - IA-J-11011/163/2019-IA-II (IND-I);

Dated: 16/03/2023.

No activity is initiated as the associated Mining Lease is yet to granted by the Govt. of Chhattisgarh. Site preparation activity along with detailed engineering and ordering of plant machineries will be initiated once the mining lease is granted, executed and registered.

A. Specific conditions

Sr.	Conditions	Compliance
i.	The PP shall comply with all the environmental	Agree to comply with the initiation of site
	protection measures and safeguards proposed in the	developmental activities.
	documents submitted to the Ministry. All the	
	recommendations made in the EIA/EMP in respect of	
	environmental management, and risk mitigation	
	measures relating to the project shall be implemented.	
ii.	The project proponent shall utilize modern	Noted for compliance during plant
	technologies for capturing of carbon emitted and shall	machinery ordering
	also develop carbon sink/carbon sequestration	
	resources capable of capturing more than emitted. The	
	implementation report shall be submitted to the IRO,	
	MoEF&CC in this regard.	
iii.	The nearest habitations to plant are Kharora (NP) (1.2	Noted for compliance with the initiation
	km, SE), Kesla (1.8 km, SE), Math (2.0 km, SW),	of site developmental activities.
	Nawagaon (2.5 km, South), Pachri (2.5 km, NNE),	
	Bardih (2.5 km, East), Chheriya (2.6 km, NNE) and	
	Nahardih (2.9 km, ENE). Project Proponent shall take	
	appropriate environmental safeguard measures to	
	minimise the impact on the habitation of the locals. The PP shall also include some of these locations in its	
	environmental monitoring programme.	
iv.	Two seasonal water reservoirs towards north along	Noted for compliance during detailed
IV.	with Mahanadi Canal (Baloda branch) (3.5 km, ENE),	engineering and initiation of site
	Mahanadi Canal (Lawan branch) (4.5 km, South),	developmental activities.
	Mahanadi Canal (Bhatapara branch) (5.5 km, WSW),	developmental activities.
	Pindraon Tank (2.5 km, West), Pikridih Tank (4.0 km,	
	WSW), Kumhari Tank (4.5 km, North), Kosrangi Tank	
	(7.5 km, SE), Tengna Nala (8.5 km, NNE) and Khorsi Nala	
	(9.5 km, ENE) exists within the study area of 10 km from	
	the project site. A robust and full proof Drainage	
	Conservation scheme to protect the natural drainage	
	and its flow parameters; along with Soil conservation	

Sr.	Conditions	Compliance
	scheme and multiple Erosion control measures shall be	
	implemented.	
V.	As committed, PP shall adopt villages namely Kharora, Nahardih, Bardih and Kesla and formulate Village Adoption program consisting of need-based community development activities, to develop them into model villages.	Noted for compliance. Plan submitted, activity will be initiated along with commissioning of the plant.
vi.	The water requirement for the proposed project of 1850m3/day, is proposed to be met ground water. Necessary permission shall be obtained from the Competent Authority in this regard. PP shall explore the possibility of shifting to alternate source of water to reduce dependency on groundwater.	Application for grant of NOC was submitted vide Application No. – 21-4/7981/CT/IND/2023 dated 10.01.2023. IAR is Approved in 65 th Internal EAC dated 20.07.2023 and NOC is under process.
vii.	Three tier Green Belt shall be developed in a time frame of one year covering at least 40% of the total project area as per the submitted plan with native species all along the periphery of the project site of adequate width and tree density shall not be less than 2500 per ha. Survival rate of green belt developed shall be monitored on periodic basis to ensure that damaged plants are replaced with new plants in the subsequent years. PP shall develop greenbelt in the form of shelter belt comprising of total of 6 rows of 2x2 m plantation with tall trees & broad leaves with thick canopy along with windshield inside the plant premises to act as green barrier for air pollution & noise levels towards the villages namely Kharora (NP) (1.2 km, SE), Kesla (1.8 km, SE), Math (2.0 km, SW), Nawagaon (2.5 km, South), Pachri (2.5 km, NNE), Bardih (2.5 km, East), Chheriya (2.6 km, NNE) and Nahardih (2.9 km, ENE). Compliance status in this regard, shall be submitted to concerned Regional Office of the MoEF&CC.	Noted for compliance. Activity shall be initiated with the site developmental activities.
viii.	Greening and Paving shall be implemented in the plant area to arrest soil erosion and dust pollution from exposed soil surface.	Noted for compliance
ix.	The proposed project shall be designed as "Zero Liquid Discharge" Plant. ETP shall be installed and there shall be no discharge of effluent from the plant. Domestic effluent shall be treated in Sewage Treatment Plant. MSW waste shall be treated in digester and recovered gas shall be used in the canteen.	Noted for compliance
X.	The PP shall also undertake rain water harvesting measures as per the plan submitted in the EIA/EMP report and reduce water dependence from the outside source.	Noted for compliance during operation

Sr.	Conditions	Compliance
xi.	All stockyards shall be having impervious flooring and shall be equipped with water spray system for dust suppression. Stock yards shall also have garland drains to trap the run off material.	Noted for compliance
xii.	All internal and connecting road to the Highway shall be black topped/ concreted with suitable load in term of Million Standard Axle (MSA) as per IRC guidelines.	Noted for compliance
xiii.	Performance monitoring of pollution control equipment shall be taken up yearly and compliance status in this regard shall be reported to the concerned Regional Office of the MoEF&CC.	Noted for compliance during operation
xiv.	Dioxin and furans shall be monitored twice a year during co-processing of hazardous waste and report shall be submitted to the Regional Office of the MoEF&CC.	Noted for compliance during operation
XV.	Particulate matter emissions from all the stacks shall be less than 30 mg/Nm3.	Noted for compliance during operation
xvi.	DeSOx system shall be provided dry type. NOx level shall be maintained below 600 mg/Nm3 by using best available technology.	Noted for compliance during operation and plant machinery ordering
xvii.	Petcoke dosing shall be controlled automatically to control SO2 emission from chimney within the prescribed limits.	Noted for compliance during operation
xviii.	PP shall identify the Source of fluoride emissions and action plan to mitigate the same shall be implemented.	Noted for compliance during operation
xix.	A proper action plan must be implemented to dispose of the electronic waste generated in the industry.	Noted for compliance during operation and construction
xx.	Action Plan for firefighting system including provision for flame detectors, temperature actuated heat detectors with alarms, automatic sprinkler system, fixing the location of fire water tanks, separate power system for firefighting, involvement of qualified and trained fire personnel, nearest fire station & time required to reach the proposed site shall be prepared and implemented.	Noted for compliance during operation and detailed plant engineering
xxi.	All the recommendations made in the risk assessment report shall be implemented and compliance status in this regard shall be furnished to the Regional Office of the MoEF&CC along with the six monthly compliance report.	Noted for compliance
xxii.	All the commitments made to the public during the Public Hearing/Public Consultation shall be satisfactorily implemented. The action plan based on the social impact assessment study of the project as per the EMP in accordance to the Ministry's OM dated	Noted for compliance. The Plan submitted during appraisal of the project shall be implemented along with site developmental activities.

Sr.	Conditions	Compliance
	30.09.2020 shall be strictly implemented and progress	
	shall be submitted to the Regional Office of MoEF&CC.	
xxiii.	The Plastic Waste Management Rules 2016, inter-alia,	Noted for compliance during operation
	mandated banning of identified Single Use Plastic (SUP)	
	items with effect from 01/07/2022. In this regard, CPCB	
	has issued a direction to all the State Pollution Control	
	Boards (SPCBs)/Pollution Control Committees (PCCs)	
	on 30/06/2022 to ensure the compliance of	
	Notification published by Ministry on 12/08/2021. The	
	technical guidelines issued by the CPCB in this regard is	
	available at https://cpcb.nic.in/technical-guidelines-3/.	
	All the project proponents are hereby requested to	
	sensitize and create awareness among people working	
	within the Project area as well as its surrounding area	
	on the ban of SUP in order to ensure the compliance of	
	Notification published by this Ministry on 12/08/2021.	
	A report, along with photographs, on the measures	
	taken shall also be included in the six monthly	
	compliance report being submitted by the project	
	proponents.	
xxiv.	The project proponent shall adopt the Clean Air	Noted for compliance during operation
	practices like mechanical collectors, wet scrubbers,	and plant machinery ordering
	fabric filters (bag houses), electrostatic precipitators,	
	combustion systems (thermal oxidizers), condensers,	
	absorbers, adsorbers, and biological degradation.	
	Controlling emissions related to transportation shall	
	include emission controls on vehicles as well as use of	
	cleaner fuels. Sufficient numbers of additional truck	
	mounted Fog/Mist water cannons shall be procured	
	and operated regularly inside the project premises and	
	also in the surrounding villages to arrest suspended	
-	dust in the atmosphere.	
XXV.	The recommendations of the approved Site-Specific	Noted for compliance during operation
	Wildlife Management Plan shall be implemented in	
	consultation with the State Forest Department. The	
	implementation report shall be furnished along with	
	the six-monthly compliance report to the concerned	
	Regional Office of the MoEF&CC.	

B. General Conditions

Sr.	Conditions	Compliance
I.	Statutory Compliance:	
i.	The Environment Clearance (EC) granted to the	Noted
	project/ activity is strictly under the provisions of the	

Sr.	Conditions	Compliance
	EIA Notification, 2006 and its amendments issued from	•
	time to time. It does not tantamount/ construe to	
	approvals/ consent/ permissions etc., required to be	
	obtained or standards/conditions to be followed under	
	any other Acts/Rules/Subordinate legislations, etc., as	
	may be applicable to the project.	
II.	Air quality monitoring and preservation	
i.	The project proponent shall install 24x7 continuous	Noted for compliance during
	emission monitoring system with respect to standards	implementation and operation
	prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide	
	G.S.R. No. 612 (E) dated 25thAugust, 2014 (Cement)	
	and subsequent amendment dated 9 th May, 2016	
	(Cement) and 10 th May, 2016 (in case of Co-processing	
	Cement); as amended from time to time; and	
	connected to SPCB and CPCB online servers and	
	calibrate these system from time to time according to	
	equipment supplier specification through labs	
	recognized under Environment (Protection) Act, 1986	
	or NABL accredited laboratories.	Noted for constitute during
ii.	The project proponent shall monitor fugitive emissions	Noted for compliance during
	in the plant premises at least once in every quarter through labs recognised under Environment	implementation and operation
	(Protection) Act, 1986.	
iii.	The project proponent shall install system carryout to	Noted for compliance during
"".	Ambient Air Quality monitoring for common/criterion	implementation and operation
	parameters relevant to the main pollutants released	mprementation and operation
	(e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission,	
	and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx	
	emissions) within and outside the plant area at least at	
	four locations (one within and three outside the plant	
	area at an angle of 120°each), covering upwind and	
	downwind directions.	
iv.	The project proponent shall submit monthly summary	Noted for compliance during operation
	report of continuous stack emission and air quality	
	monitoring and results of manual stack monitoring and	
	manual monitoring of air quality /fugitive emissions to	
	Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and	
	Regional Office of SPCB along with six-monthly	
	monitoring report.	
٧.	Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be	Noted for compliance during
	provided for all the dust generating points including	implementation and operation
	fugitive dust from all vulnerable sources, so as to	
	comply prescribed stack emission and fugitive emission	
	standards.	

Sr.	Conditions	Compliance
vi.	The project proponent shall provide leakage detection	Noted for compliance during operation
	and mechanised bag cleaning facilities for better	
	maintenance of bags.	
vii.	Pollution control system in the cement plant shall be	Noted for compliance during operation
	provided as per the CREP Guidelines of CPCB.	
viii.	Sufficient number of mobile or stationery vacuum	Noted for compliance during operation
	cleaners shall be provided to clean plant roads, shop	
	floors, roofs, regularly.	
ix.	Ensure covered transportation and conveying of raw	Noted for compliance during operation
	material to prevent spillage and dust generation; Use	
	closed bulkers for carrying fly ash.	
х.	Provide wind shelter fence and chemical spraying on	Noted for compliance during operation
	the raw material stock piles; and	
xi.	Provide Low NOX burners as primary measures and	Noted for compliance during
	SCR /NSCR technologies as secondary measure to	implementation and operation
<u> </u>	control NOX emissions.	
xii.	Have separate truck parking area and monitor	Noted for compliance during operation
	vehicular emissions at regular interval.	Neted for compliance during an exetion
xiii.	Efforts shall be made to reduce impact of the transport	Noted for compliance during operation
	of the raw materials and end products on the surrounding environment including agricultural land by	
	the use of covered conveyor belts/railways as a mode	
	of transport.	
xiv.	Ventilation system shall be designed for adequate air	Noted for compliance during
XIV.	changes as per ACGIH document for all tunnels, motor	implementation and operation
	houses, cement bagging plants.	
III.	Water quality monitoring and preservation	L
i.	The project proponent shall install 24x7 continuous	Noted for compliance during
	effluent monitoring system with respect to standards	implementation and operation
	prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide	
	G.S.R. No. 612 (E) dated 25thAugust, 2014 (Cement)	
	and subsequent amendment dated 9thMay, 2016	
	(Cement) and 10 th May, 2016 (in case of Co-processing	
	Cement) as amended from time to time; and	
	connected to SPCB and CPCB online servers and	
	calibrate these system from time to time according to	
	equipment supplier specification through labs	
	recognized under Environment (Protection) Act, 1986	
	or NABL accredited laboratories.	
ii.	The project proponent shall regularly monitor ground	Noted for compliance during
	water quality at least twice a year (pre and post-	implementation and operation
	monsoon) at sufficient numbers of	
	piezometers/sampling wells in the plant and adjacent	
	areas through labs recognized under Environment	

Sr.	Conditions	Compliance
	(Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.	
	Sewage Treatment Plant shall be provided for	Noted for compliance during operation
iii.	treatment of domestic wastewater to meet the	Noted for compliance during operation
	prescribed standards.	Noted for consultance during an austica
iv.	Garland drains and collection pits shall be provided for	Noted for compliance during operation
	each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to	
	surface run off.	
		Noted for compliance during
٧.	Water meters shall be provided at the inlet to all unit	
	processes in the cement plant.	implementation and operation
vi.	The project proponent shall make efforts to minimize	Noted for compliance during operation
	water consumption in the cement plant complex by	
	segregation of used water, practicing cascade use and	
1)/	by recycling treated water.	
i.	Noise and vibration monitoring and prevention Noise quality shall be monitored as per the prescribed	Noted for compliance during operation
1.	Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000	Noted for compliance during operation
	and report in this regard shall be submitted to Regional	
	Officer of the Ministry as a part of six-monthly	
-:-	compliance report. The ambient noise levels should conform to the	Noted for compliance during analysis
ii.	standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75	Noted for compliance during operation
	dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.	
V.	Energy Conservation measures	
i.	Waste heat recovery system shall be provided for kiln	Noted.
''	and cooler.	Already considered in project concept
	and cooler.	and shall be implemented along with
		plant
ii.	The project proponent makes efforts to achieve power	Noted for compliance during operation
	consumption less than 65 units/ton for Portland	noted to compliance during operation
	Pozzolona Cement (PPC) and 85 units/ton for Ordinary	
	Portland Cement (OPC) production and thermal energy	
	consumption of 670 Kcal/Kg of clinker.	
iii.	Provide solar power generation on roof tops of	Noted for compliance during operation
	buildings, for solar light system for all common areas,	
	street lights, parking around project area and maintain	
	the same regularly.	
iv.	Provide the project proponent for LED lights in their	Noted for compliance during operation
	offices and residential areas.	
VI.	Waste management	
i.	Used refractories shall be recycled as far as possible.	Noted for compliance during operation
VII.	Green Belt	
i.	The project proponent shall prepare GHG emissions	Noted for compliance during
	inventory for the plant and shall submit the program	implementation and operation

Sr.	Conditions	Compliance
	for reduction of the same including carbon	
	sequestration by trees in the plant premises.	
ii.	Project proponent shall submit a study report within six months on Decarbonization program, which would essentially consist of company's carbon emissions,	Noted for compliance during implementation and operation
	carbon budgeting/ balancing, carbon sequestration activities and carbon offsetting strategies. Further, the report shall also contain time bound action plan to reduce its carbon intensity of its operations and supply the instance of the strategies.	
	chains, energy transition pathway from fossil fuels to Renewable energy etc. All these activities/ assessments should be measurable and monitorable with defined time frames.	
IX.	Public hearing and human health issues	Natad for a configuration
i.	Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.	Noted for compliance during operation
ii.	The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms.	Noted for compliance during operation
iii.	Occupational health surveillance of the workers shall	Noted for compliance during operation
	be done on a regular basis and records maintained.	
X.	Environment Management	
i.	The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 30/09/2020. As part of Corporate Environment Responsibility (CER) activity, company shall adopt villages based on the socio-economic survey and undertake community developmental activities in consultation with the village Panchayat and the District Administration as committed.	Noted
ii.	The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/ violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.	Noted for compliance during operation

Sr.	Conditions	Compliance
iii.	A separate Environmental Cell both at the project and	Noted for compliance during operation
	company head quarter level, with qualified personnel	
	shall be set up under the control of Senior Executive,	
	who will directly to the head of the organization.	
XI.	Miscellaneous	
i.	The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.	Complied. A public notice informing about grant of EC has been published in two newspapers named "Chhatisgarh Watch" and "Amrit Sandesh" on 18 th March 2023 in English as well as in vernacular language i.e. Hindi. Copy of Advertisements are attached as Annexure-I. Newspapers with advertisement have been submitted to the Integrated Regional Office of MoEFCC. Copy of
		submission receipt is attached as Annexure-II.
ii.	The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.	Complied. Copies of the environmental clearance have been submitted to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies. Copy of acknowledgement receipts are attached as Annexure-III.
iii.	The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.	Noted
iv.	The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM10, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.	Noted for compliance
V.	The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.	Noted for compliance
vi.	The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.	Noted for compliance

Sr.	Conditions	Compliance
vii.	The project proponent shall inform the Regional Office	Noted
	as well as the Ministry, the date of financial closure and	
	final approval of the project by the concerned	
	authorities, commencing the land development work	
	and start of production operation by the project.	
viii.	The project proponent shall abide by all the	Noted
	commitments and recommendations made in the	
	EIA/EMP report, commitment made during Public	
	Hearing and also that during their presentation to the	
•	Expert Appraisal Committee.	Natad
ix.	The PP shall put all the environment related	Noted.
	expenditure, expenditure related to Action Plan on the PH issues, and other commitments made in the	The Plan submitted during appraisal of
	EIA/EMP Report etc. in the company web site for the	the project shall be implemented during operation.
	information to public/public domain. The PP shall also	
	put the information on the left over funds allocated to	
	EMP and PH as committed in the earlier ECs and shall	
	be carried out and spent in next three years, in the	
	company web site for the information to public/public	
	domain.	
X.	No further expansion or modifications in the plant shall	Noted.
	be carried out without prior approval of the Ministry of	
	Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).	
xi.	The Regional Office of this Ministry shall monitor	Noted.
	compliance of the stipulated conditions. The project	
	authorities should extend full cooperation to the	
	officer (s) of the Regional Office by furnishing the	
	requisite data / information/monitoring reports.	
9.	The Ministry reserves the right to stipulate additional	Noted.
	conditions, if found necessary at subsequent stages	
	and the project proponent shall implement all the said	
	conditions in a time bound manner. The Ministry may	
	revoke or suspend the environmental clearance, if	
	implementation of any of the above conditions is not found satisfactory.	
10.	Concealing factual data or submission of	Noted
10.	false/fabricated data and failure to comply with any of	Noted
	the conditions mentioned above may result in	
	withdrawal of this clearance and attract action under	
	the provisions of the Environment (Protection) Act,	
	1986.	
11.	Any appeal against this environmental clearance shall	Noted.
	lie with the National Green Tribunal, if preferred,	
	within a period of 30 days as prescribed under Section	
	16 of the National Green Tribunal Act, 2010.	

Sr.	Conditions	Compliance
12.	The above conditions shall be enforced, inter-alia	Noted.
	under the provisions of the Water (Prevention &	
	Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention &	
	Control of Pollution) Act, 1981, the Environment	
	(Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes	
	(Management and Transboundary Movement) Rules,	
	2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along	
	with their amendments and Rules and any other orders	
	passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High	
	Courts and any other Court of Law relating to the	
	subject matter.	

3

3

द

हर ज

आम स्वना

यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स डालिमया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, 11वीं-12वीं मंजिल, हंसालया बिल्डिंग, 15, बाराखंभा रोड, नई दिली–110001 को इसकी प्रस्तावित प्रस्तावित एकीकृत सीमेंट परियोजना - विलंकर (3.25 एमटीपीए), सीमेंट (2.5 एमटीपीए), डब्ल्यूएचआरएस (15 मेगावाट) और डी. जी. सेट (1000 केवीए) ग्रामः खरोरा, तहसील: खरोरा (पहले तिल्दा), जिला रायपुर (छतीसगढ़) के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति (पर्यावरण स्वीकृति पहचान संख्या-EC234009CG198000) एक.सं. IA-J- 11011/163/2019-JA-II (IND-I) दिनांक 16/03/2023 को प्रदान की गई है। इसकी प्रति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन वेबसाइट की मंत्रालय https://parivesh.nic.in एवं वेबसाइट , की कंपनी https://www.dalmiacement.co m पर भी उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरकार के संबंधित कार्यालयों के अलावा स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर निकायों के प्रमुखों को भी पर्यावरण स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत की गई है।

युद्ध मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध : राज्यपाल

मैट्स युनिवर्सिटी के छत्तीसगढ़ रिसर्च कान्क्लेव-२०२३ का भव्य शुभारंभ

रायपुर(नगर छत्तीसगढ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विचार है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए विश्व मे शांति स्थापित होना पहली प्राथमिकता होना चाहिए। युद्ध केवल विनाश की ओर ले जाता है। यह मानवता के खिलांफ सबसे बड़ा अपराध है। युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। इससे न केवल विश्व की वित्तीय व्यवस्था बल्कि सामाजिक व्यवस्था भी कमजोर हो जातो है। मैट्स यूनिवर्सिटी के बिजनेस एवं मैंनेजमेंट विभाग के विभागाध्यक्ष 17 से 18 मार्च 2023 तक 'वैश्विक पर प्रभाव' विषय पर यहाँ न्यू सर्किट



छत्तीसगढ़ रिसर्च कॉन्क्लेव-2023 का है। इसलिए युद्ध और नरसंहार की शुभारंभ राज्यपाल श्री विश्वंभूषण कीमत पर किसी भी समस्या का हल हरिचंदन ने किया। इस अवसर पर मख्य अतिथि के ख्या में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहें युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति का मार्ग अपनाने की अपील की गई है। युद्ध का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है और आम जनता हाउस में आयोजित दो दवसीय को आर्थिक बदहाली से गुजरना पड़ता

नहीं निकल सकता है। इसे बातचीत के जरिए ही सुलझाने का रास्ता निकाला जोनां चाहिए। विश्व ने दो महायुद्ध और उसके दुष्परिणाम देखे हैं। इनसे दुनिया को सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका, चीन, जापान, और जर्मनी के बाद, विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने

भारत को पांच ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनाने का जो सपना देखा था वह अब वास्तविक स्वरूप ले रहा है। भारतं के लाखों वंचित वर्गों को वैंकिंग तंत्र से जोड़ा गया है और करोड़ों युवाओं को 20 लाख करोड़ से अधिक का मुद्रा ऋग बिना बैंक गारंटी स्वीकृत किया गया है। स्थानीय कुटीर उद्योग एवं उत्पादों को बढावा देने की प्रधानमंत्री की योजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। इस अवंसर पर मैट्स युनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री गजराज पगारिया ने वैश्विक वितीय आर्थिक व्यवस्था के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों पर अपने विचार व्यक्त किये। छत्तीसगढ़ रिसर्च कान्क्लेव में युक्रेन के फैशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कार्यरत ल्युडमिला मुखरडजी एवं कुलपति प्रो. के.पी. यादव ने भी अपने

4 गंभीर कृपोषित बच्चों को गोद लिया एसडीएम व तहसीलदार ने

राजनांदगांव(वॉच ब्युरो)। क्पोषित बच्चों की क्पोषण मुक्त करने लगातार अभियान चल रहे है। प्रत्येक बैठक में सुपोषण अभियान पर फोकस कर रहे हैं। इसी कड़ी में में ग्राम इंदामरा के 2. एवम ग्राम भानपुरी के 2



कुमार गुप्ता ने आंगन बाडी सहायिका और परियोजना अधिकारी प्रीतम खुंटेल के साथ, क्पोषित बच्चों के घर जाकर कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु संकल्प लिया गया। माता पिता और उनके

परिजनों को इस विषय कर आवश्यक जानकारी देकर कुपोषण से मुक्ति हेतु सलाह भी दी गई। एसडीएम अरुण वर्मा और तहसीलदार प्रफुल गुप्ता ने वताया कि वे सुपोषण अभियान के तहत गंभीर कुपोषित बच्चो को लक्ष्य बनाकर कुपोषण मुक्त करनी हेतु दृढ़ संकल्पित है। लगातार गोद लिए हुए बच्चों की सतत मॉनिटरिंग कर कुपोषण से बाहर निकलने प्रयास करेंगे।

वार्ड नं 43 बसंतपुर में नीलू ने किया ब्रथ संशक्तिकरण अभियान का शंखनाद : नील

प्रदेश प्रवक्ता नील शर्मा ने किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का पठन





एवं पूर्व पार्पद देवशरण सेन, शक्ति केन्द्र प्रभारी कमल सोनी,

कार्यकर्तागण एवं वार्डवासीगण अधिक संख्या में उपस्थित रहे।

शेखर यादव, राजेश यादव, शर्मा, जमुना साह, विमला यादव, पदमिनी, संगीता साहू, ममता, स्शीला दीप्ति यादव, फटकन साह्, निशा श्रीवास सहित भाजपा स्थानीय पदाधिकारीगण

चार करोड़ की लागत से कोंडातराई उपकेन्द्र में 40 एमव्हीए का नया ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत

🔳 प्रदेश में द्रांसिमशन क्षमता वृद्धि से बिजली आपूर्ति प्रणाली हुई मजबूत

रायपुर (नगर प्रतिनिधि)। प्रदेश में बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ स्टेट पॉवर ट्रांसिमशन कंपनी अपनी पारेषण क्षमता में लगातार वद्धि कर रहा है। इसी कड़ी में जिले के 132/33 कोडातराई उपकेन्द्र में 40 एमव्हीए (मेगा वोल्ट एम्पीयर) ने इस उपलब्धि के लिए वृद्धि से जिले के दो सौ से



इससे वनवासी बहल इस क्षेत्र के किसानों समेत आम ग्रामीणों को लाभ होगा। पॉवर कंपनी शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए उच्च दाब उपकेन्द्रों में स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ा रही है। कोडातराई उपकेन्द्र में 40 एमव्हीए की क्षमता वृद्धि के साथ प्रदेश की कुल पारेषण क्षमता बढ़कर 22658 एमव्हीए हो गई है। उच्चदाब ट्रांफार्मर के

के घाटे, अधीक्षण अभियंता सर्वश्री सी एम वी.पी.पटेल,आर के अग्रवाल, बजरंग विश्वकर्मा समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थो।

प्रदेश सरकार का तानाशाही रवैया ह्वा उजागर स्वप्निल

पिथौरा(वॉच ब्यूरों)। की आवाज को सरकार तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहुंचाने प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राज्य

प्रदेश रवैया

उजागर हो रहा है। प्रदेश की जनता नहीं करेगी माफ। स्विप्नल तिवारी ने कहा की मोर आवास मोर अधिकार की मांग को

चलाना आप गैस व वाटर मेनन

भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस सहित विभिन्न कर लोकतंत्र की हत्या का

५ वर्ष तक के शिशुओं का आधार कार्ड बनाने 17 से शिविर

राजनांदगांव (वॉच ब्यूरो)। छत्तीसगढ सरकार की मिलान योजना के तहत जन्म, मृत्यु, विवाह, आय जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं दकान स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र बच्चों का आधार कार्ड भी बचवा रही है। इसके लिये 14545 पर फोन करने पर मितान की टीम घर आकर 0 से 5 वर्ष तक वर्ष जक के बच्चों का आधार कार्ड बना रही नगर निगम राजनांदगांव सीमाक्षेत्र में भी उपरोक्त सुविधाओं के अलावा मितान के माध्यम से बच्चों के आधार कार्ड बनाये जा रहे है। वार्डो में शिविर के माध्यम से भी आधार कार्ड बनाये गये है और अब इस सुविधा में विस्तार करते हुये वार्डों के आंगनबाडी केन्द्रों में दिनांक 17 मार्च 2023 से 0 से 5 वर्ष तक के शिशुओं का आधार कोर्ड बनाया जायेगा। निगम आयक्त डॉ. आश्तोष चतुर्वेदी ने बताया कि मितान के माध्यम से बच्चों का आधार कार्ड बनाने की योजना नवम्बर 2022 से शुरू हुई है।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक

रायपुर-१३ भागगांव तहसील

व जिला रायपुर

सीमांकन के संबंध में

अम्म - सूचना

जाता है कि आवेदक / आवेदिका संतोष पिता

लालंजी शर्मा द्वारा आवेदित ग्राम डंगनिया पे.इ.नं. 58 राजस्व निरीक्षक मंडल रायपुर

13 भाठागांव स्थित भूमि खसरा नेवर

180/57 रकबा 0:060 का सीमांकन

न्यायालय नायब / अतिरिक्त तहसीलदान

रायपुर के आदेश दिनांक 20/02/2023 के

परिपालन में दिनांक 22/03/2023 को समय

12:00 बजे प्रशात मेरे द्वारा किया जाना है।

अतः उक्त सीमांकन में जिस किसी व्यक्ति या

संस्था को कोई दावा या आपति हो वें उक्त

दिनांक / समय तक पटवारी हल्का नंबर 58

के डंगनिया स्थित कार्यालय में दस्तावेजी

सहित स्वयं अथवा अपने वध अभिभाषक के

माध्यक से उपस्थित होकर प्रस्तृत कर सकते

है। बाद के किसी दावा या आपन्नि पर मेरे द्वारा।

मुहर) रायपुर - १३ भाटागांव

राजस्व निरीक्षक

विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया।

दिनांक 14/03/2023

सडक चिरचारी उपकेंद्र में ५ एम.व्ही.ए. का नया पॉवर ट्रांसफार्मर को किया गया क्रियाशील

विस्तारक के रूप में इस आयोजन

की अगुवाई करते हुए राष्ट्रपति

महामहिम श्रीमती द्रोपदी मुर्मू के

🥃 इसके उजीकरण से ४३ ग्रामों के ७५९९ हजार उपभौक्ताओं को मिलेगी उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति

राजनांदगांव(वॉच ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रोब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत राजनांदगांव ,जिले के ग्रामीण अंचलों में समुचित वोल्टेज पर निर्बाध व गुणावत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यमान उपकेन्द्रों में स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जा रहा है। इसी कड़ी में छुरिया विकासखण्ड के ग्राम सडक



पॉवर ट्रांसफार्मर का क्षमता में वृद्धि करते हुए मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के तहत 57 लाख 76 हजार रूपये के लागत से 5 एम0व्ही0ए0 का नया पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित कर ऊर्जीकृत किया गया। इस प्रकार सड़क चिरचारी उपकेन्द्र की क्षमता 8.15 एम0व्ही0ए0 से बढ़कर 10 ए0व्ही०ए० हो गया है। विद्युत कंपनी के उच्चाधिकारियों के विशेष प्रयासों से विद्युत विकास के लिए स्वीकृत इस कार्य से सड़क चिरचारी उपकेन्द्र के परिधि में आने वाले अनेक गांवों के किसानों तथा उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।

में समाचार और विज्ञापन के लिए प्रतिनिधि चाहिए ईच्छुक व्यक्ति रक्षाधन सहित संपर्क करें।।

मों. नं. :- 9303219710

मो. न. :- 9584111234

फोन नं. :- 07714048837

पताः- पुराना बस स्टेंड पण्डरी रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छ.ग.) //द्वितीय निविदा सुचना//

क्रमांक २३१०/निविदा /लोक/२०२२-२३, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में निम्न निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित

页.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि रू. (लाख में)	निविदा प्रस्तुत करने ' की अंतिम तिथि
1	2	3	4
7	अधोसरचना मद योजनांतर्गत वार्ड क. 08 नाली एवं सडक निर्माण कार्य	7.00	03-04-23
2	अधोसरचना मद योजनांतर्गत वार्ड क. 28 में नाली एवं रोड़ निर्माण कार्य	7.00	03-04-23
3	अधोसंरचना मद योजनांतर्गत वार्ड क्रं. ४१ में नाली एवं रोड निर्माण कार्य	7.00	03-04-23
4	अधोसरिचना मद योजनांतर्गत वार्ड कं. 29 मे पी.सी.सी. रोड निर्माण कार्य	7.00	03-04-23

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा से संबंधित सामान्य शर्ते, धरोहर राशि निविदा वेज्ञिति निविदा दस्तावेज एवं अन्य जानकारी कार्यालीन अवधि में कार्यालय नगर पालिक निगम राजनांदगांव के (लोक कर्म शाखा) एवं वेबसाईड www.merin.com& attp//www.uad.cg.gov.in से प्राप्त की जा संकती है । उक्त निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन, शुद्धिकरण एवं अमेडमेंट पृथक से विज्ञापनन्जारी नहीं किया जावेंगा। वेबसाईट ही प्रकाशित किया जावेगा।

अ / 2, वर्ष 2022-23

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़

ई कोर्ट नम्बर

आयुक्त नगर पालिक निगम राजनांदगांव

छग में विकास ग्रुप का प्रवेश



रायपुर (नगर प्रतिनिधि)। ओडिशा सीबीएसई, नई दिल्ली से सीनियर सेकेंडरी के साथ-साथ भारत के पूर्वी हिस्से के प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान विकास ने अपने बैनर तली रायपुर में कंगटा इंटरमशनल स्कूल और जगदलपुर में आदेश्वर अकादमी के साथ छत्तीसगढ़ में अपना प्रवेश किया है।ओलंपियाड - छठी कक्षा से विकास में ं से जब इस संदर्भ में चर्चा है।ओडिशा का विकास ग्रुप ऑफ एक अनूटा कार्यक्रम है जो छात्रों को कक्षा- की गई तो उन्होंने बताया कि शिवलिंग इंस्टीट्यूशंस पिछले दी दशकों से ओडिशा 🧣 के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जांच के लिए उसे पुरानत्व विधाओं और उसके आस-पास के राज्यों में करने में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गुणात्मक सीबीएसई च-12 शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें राज्य भर के 15000 से तैयारी के साथ-साथ, ग्यारहवीं/बारहवीं अधिक छात्र हैं, जिसमें अभिनव शैक्षणिक

पहल का समावेश किया गया है। दशकों से विकास को तरजीह दे रहे हैं और माता-पिता की लंबे चल रही थी गौरतलब है कि अब आस्था से जोड़कर रूंगटा इंटरनेशनल स्कूल और आदेश्वर अकादमी दोनों

लेवल च 12 तक संबद्ध हैं। इसके अलावा. रूंगटा इंटरनेशनल स्कुल ; विश्व के सर्वश्रेष्ठ बोर्ड आईबी पाठ्यक्रम , से चलक्रा प्रात करने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्कूल जाता है। इसके अलावा, सीबीएसई बोर्ड की कक्षा के लिए जेईई/एनईईटी/सीपीटी के विचार और बोर्ड द्वारा नवीनतम शैक्षिक लिए एकीकृत कार्यक्रम उल्लेखनीय है।

खुदाई में लगे थे मज़दूर, निकली शिवलिंग अब पुजा के लिए लग रहा तांता

बालोद(वॉच ब्यरो)। बालोद जिले निकला तो खुदाई कार्य में लगे मजदूरों ने डाँडीलोहारा ब्लाक के ग्राम मुङ्ख्यरा में निर्माण कार्य के दौरान खदाई में एक शिवलिंग मिलने से पूरे क स्कूल शुरू करन का मार्ग जिल में हलचेल मच गई है और लागे इसे 🗸

देख रहे हैं आपको बता वे

के पास भेजा जाएंगा तब इसकी संपूर्ण जानकारी लग पाएगी।

मजदूरों ने की पूजा अर्चना

ढिलाई बरतते हुए उस जगह को आसानी से निकाला जिसके बाद वहां से एक छोटा सा शिवलिंग निकला जो कि पहले से

ही आकार ले चुका था। जब उस जगह से शिवलिंग निकला तो कई तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए जिसके बाद से पुराने कैलेंडर पुराने नक्शे इत्यादि निकालकर भी जांच पड़ताल की जा रही है कि इस जगह पर प्राचीन समय

में कोई मंदिर तो नहीं था।

इसे आस्था से जोड़ कर देखा और वहीं

पर पूजा अर्चना की मजदूरों से जब

जानकारी ली गई तो पता चला कि खुदाई

क दारान अचानक स कठार हिस्सा दखत

ही मजदूरों ने खुदाई में

खुदाई के दौरान जब शिवलिंग

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ) ई – प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना

Main Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

सक्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक/दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित
			लागत (रूपये लाख में)
1	127498 (प्रथम आमंत्रण) 13.03.2023	जिला सूरजपुर के सूरजपुर छट घाट-सरखावतीपुर से रामनगर तक सड़क लंबाई 3.77 कि.मी का निर्माण कार्य I(CGRIDCL)	633.25
2	127952	बिलासपुर में 1500 बंदी जेल भवन_का निर्माण, वा.स. से. फि. विद्युतीकरण, बाउण्डीवाल एवं पहंच मार्ग का कार्य।	11670.27

27.03.2023 निर्धारित है। एवं अन्य शेष निविदाओं के लिए दिनांक 05.04.2023 निर्धारित है। निविदा में भाग लेने की प्रिक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

> मुख्य अभियता केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियंता,

लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर

न्यायालय अनुविभागीय आम स्वन अधिकारी (रा.) कवर्धा, यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स

डालिमया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, जिला-कबीरधाम 11वीं-12वीं मंजिल, हंसालया // ईश्तहार // • बिल्डिंग, 15, बाराखंभा रोड, नई दिली-110001 को इसकी प्रस्तावित प्रस्तावित एकीकृत सीमेंट परियोजना क्रमांक / 908 / अ. वि. द. / प्रवा - 2 - विलंकर (3.25 एमटीपीए), सीमेंट /2023 कवर्धा, दिनांक 16/03/2023 (2.5 एमटीपीए), डब्ल्यूएचआरएस एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्रामवासीगा (15 मेगावाट) और डी. जी. सेट इरिबक्सा को सुचित किया जाता है, कि आवेदव (1000 केवीए) ग्रामः खरोरा, (01) लखेश्वर पिता सुदर्शन (02) शालिनी पति तहसील: खरोरा (पहले तिल्दा), लखेश्वर निवास का पता :- कवर्धा, तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ । ने अपने जिला रायपुर (छतीसगढ़) के लिए निजी स्वामित्व की ग्राम-ईरिबकसा प०६०नं०-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 06, राजस्व निरीक्षक मण्डल स.लोहारा, मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति तहसील-स. लोहारा स्थित भूमि खसरा नम्बर (पर्यावरण स्वीकृति पहचान संख्या-247 / 1, 247/4, क्रमशः रकवा 0.721 0.7250 हे. भूमि (लगान 3046 पैसा) से गैर EC234009CG198000) एफ.सं. कृषि प्रयोजन औद्योगिक प्रयोजनार्थ (राईस मिल) IA-J- 11011/163/2019-JA-II व्यपवर्तन किये जानें हेतु आवेदन प्रस्तुत किया (IND-I) दिनांक 16/03/2023 को प्रदान की गई है। इसकी प्रति उक्त आवेदित भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (राईस मिल) में व्यपवर्तन किये जाने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से जिस किसी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा https://parivesh.nic.in एवं समय 05:30 बजे तक स्वतः या अपने

https://www.dalmiacement.co दावा / आपति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा आज दिनांक 17/03/2023 को मेरे m पर भी उपलब्ध है। परियोजना हस्ताक्षर व पद मुद्रा से जारी । प्रस्तावक द्वारा सरकार के संबंधित जारी दिनांक - 17/03/2023 कार्यालयों के अलावा स्थानीय पेशी दिनांक - 17/04/2023 निकायों, पंचायतों और नगर निकायों के प्रमुखों को भी पर्यावरण स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय नजूल अधिकारी कबीरधाम (छ.ग.)

// ईश्तहार // रा प्रक.ई.पंजी./202302082200041

/अ- 6/ वर्ष 2022-23

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका शालिनी चन्द्रवंशी पति लखेश्वर चन्द्रवंशी साकिन कवर्धा जिला कबीरधाम द्वारा नजूल नगर कवर्धा स्थित शीट क्रं.- 21 भू-खण्ड क्र. - 14/1, 14/3 क्षेत्रफल 112.14 वर्गमीटर भू-खण्ड जो नजूल अभिलेख में बद्री, देवनाथ, देवकुंवर पिता रव. बुलउ सतनामी सा० कवर्धा के नाम पर दर्ज है। उक्त भू-खण्ड को आवेदिका द्वारा मूल धारकों से पंजीकृत बयनामा दिनांक 11.01.2023 द्वारा कय किये जाने से अपना नाम नज़ल अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 5/4/23 को नियत की गई है।

अतएव नामांतरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति एवं संस्था को उनर अथवा आपति हो वे इस न्यायालय में दिनांक 5/4/23 तक स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपित प्रेश कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आपति पर मान्य नहीं किया जायेगा । आज दिनांक 16/3/23 को इस न्यायालय के पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

जारी दिनांक - 16/3/2023 पेशी दिनांक. - 5/4/2023

नजूल अधिकारी,

न्यायालय नजूल अधिकारी कबीरधाम (छ.ग.)

// ईश्तहार // रा.प्र.क.ई.पंजी./202302082200042

/अ- 6/ वर्ष 2022-23 एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका शालिनी चन्द्रवंशी पति लखेश्वर चन्द्रवंशी साकिन कवर्धा जिला कबीरधाम द्वारा नजूल नगर कवर्धा स्थित शीट कं.- २१ भू-खण्ड क. - 13 क्षेत्रफल 235.00 वर्गमीटर भूं-खण्ड जो नजूल अभिलेख में बद्री, देवनाथ, देवकुंवर पिता स्व. बुलउ सतनामी सा० कवर्धा के नाम पर दर्ज है। उक्त भू-खण्ड को आवेदिका द्वारा मूल धारकों से पंजीकृत बयनामा दिनांक 11.01.2023 द्वारा ऋय किये जाने से अपना नाम नजूल अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 5/4/23 को नियत

अतएव नामांतरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति एवं संस्था को उजर अथवा आपित हो वे इस न्यायालय में दिनांक 5/4/23 तक स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपति पेश कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आपति पर मान्य नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 16/3/23 की इस न्यायालय के पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

जारी दिनांक - 16/3/2023 पेशौ दिनांक - 5/4/2023

नजूल अधिकारी,

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लेक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक १ (छतीसगढ़ निविदा सूचना (प्रथम आमंत्रण)

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेंदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती

एन.आई.टी. क्र./सिस्टम टेम्डर न.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रू. (लाख में)
7	2	3 -
181/123941	S.R./M.O.W. WÖRK OF SANGWARI VIDHAYAK VISHRAM GRAH,PANKAJ VISHRAM , APARTMENT, TIKRAPARA GAD QUARTERS, VIDHANSABHA SUB-DN., RAIPUR	रू. 30.00 लाख
185/123942	CONSTUCTION OF BIRGAON FOURWAY DIRECTION ROAD LENGTH 3.00 KM. (BALANCE WORK)	रू. 112.06 लाख
186/127826	BT RENEWAL WORK, FOR AMANAKA TO AMAPARA ROAD LEFT & RIGHT SIDE (KM. 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 2/10, 3/2, 3/4, 3/6, 3/8, 3/10, 4/2, 4/4) ₹ = 2.00 KM.	रू. 165.58 लाख

निविदा डाउनलोड़ करने की अंतिम तिथि दिनांक 06.04.2023 समय सायं 5:30 बजे तक उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी https://eproc.cgstate.gov.in घर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।

अधीक्षण अभियंता लो.नि.वि., रायपुर मण्डल क्र. – 1 जी-99405/1 रायपुर (छ.ग.)

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि सं.क. 02 दिनांक

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Dalmia Cement (Bharat) Ltd. 11th-12th Floor, Hansalaya Building, 15, Barakhamba Road, New Delhi-110001, has been accorded the Environmental Clearance for its proposed "Proposed Integrated Cement Project -Clinker (3.25 MTPA), Cement (2.5 MTPA), WHRS (15 MW) and D.G. Set (1000 KVA) At Kharora, Tehsil: Kharora (Earlier Tilda), District: Raipur (Chhattisgarh) by Ministry of Environment, Forest & Climate Change vide EC Identification No.- EC23A009CG198000: File No. IA-J-11011/163/2019-IA-II(IND-I) dated 16/03/2023. A copy of the EC is available at website of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change at http://parivesh.nic.in as well as Company's website https://www.dalmiacement.com.The copy of the environmental clearance has also been submitted by the project proponent to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government.

नाम परिव

रागधान

छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में हो रहा मतांतरण, यह बात किसी से छिपी नहीं

प्रांत संघचालक पूर्णेन्द्र का आरोप, कहा- संघ जागरूकता का काम कर रहा

अभृत संदेश । रायपुर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रान्त संघचालक डॉ. पूर्णेन्द् सक्सेना ने छत्तीसगढ में बड़ी संख्या में मतांतरण होने की बात कही है. उन्होंने कहा कि यह बात किसी से छुपी नहीं है. बस्तर में तो स्थिति किसी से छुपी नहीं है. इसके लिए संघ जागरूकता का काम कर रहा है.

प्रान्त संघचालक पूर्णेन्दु सक्सेना ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रदेश में कानून का पालन नहीं हो रहा है. नारायणपुर

न्यायालय अतिरिक्तं तहसीलदार रायपुर (छ.ग.) राजस्व मामले की नोटिस प्रकाशन T.京原/202210111500092/哥-6/2022-2023 रायपुर, दिनांक 17.03.2023

नितिन कुमार मिश्रा पिता शंकर ला मिश्रा निवासी गणेश नगर रायपुरा रायपुर छ.ग. द्वाराः- मालबमादार तहसील कार्यालय रायपुर (छ.ग.) इस नोटिस के जरिये आपको सूच त्रिक्त अस्ति अस्ति अस्ति क्रिक्त अस्ति अस्ति स्व स्विदे ब्रीक्स्तिव निवासी म.नं. ०४ मोहन नगर ठाकुः कॉलोनी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. हारा इस त्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम रायपुरा प.इ.नं. 57 तहसील व जिला रायपुर में स्थित परिवर्तित मि खाता क्रमांक 2260 भाग-2 खसरा नंबर 582 क ग रकता 1000 वर्गफुट भूमि को आवेदक एवं मीन बास्तव पति स्व. अरविंद श्रीवास्तव के द्वारा संयुक्त रूप से विक्रेता नितिन कुमार मित्रा पिता श्री शंकर लाल मित्र निवासी गणेश राम नगर रावपुरा जिला रावपुर छ.ग. रं पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 28.01.2015 के माध्य मृत्यु दिनांक 07.01.2021 को हो चुकी है। मृतक सहक्रेत स्य. मीना श्रीवास्तव पति स्व. अरविंद श्रीवास्तव वे विधिक वारिसान आवेदक सहक्रेता आशीय श्रीवास्तव पि अरबिंद श्रीवास्त्र मात्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई इधिक बारिसान नहीं है। अतः उक्त आवेदित भूमि के

रिमांक 06.04.2023 को अनिवार्य रूप से उपस्थित होक कार्यवाही की जावेगी।

पंजीकत विक्रम विलेख के आधार पर मृतक सहकता स

ना श्रीवास्तव पति स्व. अरविंद श्रीवास्तव के विधि रिसान के नाम पर नामांतरण कर दर्ज किये जाने

निवेदन किया है। उक्त प्रकरण में आप हितबद्ध पक्षक

अतिरिक्त तहसीलदार

लोग भी नाराज होकर हिंसा कर सकते हैं. इसमें संघ कार्यकर्ता हों, यह जरूरी नहीं है.

में 200 लोगों ने कलेक्टर को लिखकर श्मशान के लिए जमीन मांगी, जिसमें कहा गया कि वे ईसाई बन गए हैं, उन्हें अलग श्मशान चाहिए. छत्तीसगढ़ में मतांतरण के कारण हिंसा हो रही है. मतांतरण होने के कारण आम

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रिसाली दुर्ग (छ.ग.) विषय- सीमांकन बाबत्

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को

सचित किया जाता है कि नायब

तहसीलदार के आ. क. 107 दिनांक 6/2/23 के पालन में ग्राम रिसाली 2022-2023 प.ह.न.22 भूमि स्वामी श्रीमान/श्रीमती रंजीत कौर आ /पति कलविंदर सिंह निवासी भिलाई द्वारा आवेदित ग्राम रिसाली स्थित भूमि खसरा नंबर912/2 रकबा 0.02 हेक्ट. जिसकी सीमा उत्तर में रास्ता 1दक्षिण में रेल्वे की भूमि पूर्व में अन्य की जमीन पश्चिम में रास्ता है कि सीमांकन दिनांक 27/03/23 को 11 से 05 बजे के बीच किया जावेगा।कोई भी व्यक्ति जो उक्त खसरा नंबर की भूमि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंत रखते हैं तो अपने स्वत्त्व

कर सकते हैं। तत् पश्चात आपत्ति मान्य नहीं

अर्जन के वैध दस्तावेज,नक्शा,लेआउट

तथा रजिस्ट्री की प्रतिलिपि सहित मौके

पर उपस्थित होकर दावा/आपत्ति पेश

जारी दिनांक 13/03/2023 राजस्व निरीक्षक रिसाली,दुर्ग(छ गः)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया

जाता है कि मैं बरखा पति मनोहर

लाल माखीजा निवासी म.नं. बी

305, वालफोर्ट, आर्चिड, वाटर

टेंक के पास, न्यू शांति नगर रायपुर

(छ.ग.) यह शपथ करती हूं कि

मैने अपना पुराना नाम को त्याग

कर नया नाम बरखा माखीजा पति

मनोहर लाल माखीजा राम माखीजा

रख ली हूं। अतः आज से मुझे

समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व

अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम

बरखा माखीजा पति मनोहर लाल

माखीजा राम माखीजा से ही जाना

बरखा माखीजा

म.नं. बी-305, वालफोर्ट,

आर्चिड, वाटर टेंक के पास,

न्यू शांति नगर रायपुर (छ.ग.)

पहचाना जावे।

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Dalmia Cement (Bharat) Ltd 11th-12th Floor, Hansalaya Building, 15, Barakhamba Road, New Delhi-110001, has been accorded the Environmental Clearance for its proposed "Proposed Integrated Cement Project Clinker (3.25 MTPA), Cement (2.5 MTPA), WHRS (15 MW) and D.G. Set (1000 KVA) At Kharora, Tehsil: Kharora (Earlier Tilda), District: Raipur (Chhattisgarh) by Ministry of Environment, Forest & Climate Change vide EC Identification No.- EC23A009CG198000; File No. IA-J-11011/163/2019-IA-II(IND-I) dated 16/03/2023. A copy of the EC is available at website of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change at http://parivesh.nic.in as well as Company's website https://www.dalmiacement.com.The copy of the environmental clearance has also been submitted by the project proponent to the Heads of local bodies, Panchaya and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मनोहर लाल पिता स्व. लाडला राम माखीजा निवासी म.नं. बी-305, वालफोर्ट, आचिड, वाटर टेंक के पास, न्यू शांति नगर रायपुर (छ.ग.) यह शपथ करता हूं कि मैने अपना पुराना नाम को त्याग कर नया नाम मनोहर लाल माखीजा पिता स्व. लाडला राम माखीजा रख लिया हूं। अत: आज से मुझे समस्त शासकीय अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम मनोहर लाल माखीज पिता स्व. लाडला राम माखीजा से

ही जाना पहचाना जावे। मनोहर लाल माखीजा म.नं. बी-305, वालफोर्ट, आर्चिड, वाटर टेंक के पास न्यू शांति नगर रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) ईश्तहार

रा.मा.क्र./ब121/2022-2023 याम लखना प.ह.नं...

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक का नाम श्यामलाल पिता/पति श्री भुलकराम निवासी लखना द्वारा मृतक का नाम भुलऊराम जिनकी मृत्यु दिनांक 08.10.2014 ग्राम लखना में हुई है जिनका मृत्यु का पंजीयन नहीं कराया गया है मृत्यु पंजीयन हेतु आवेदन पत्र पेश किया है।

इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को दावा आपत्ति यदि कोई हो तो वे पेशी दिनांक 20.03.2023 तक अपने दावा आपत्ति पेश कर सकते है। मियाद बाद प्राप्त दावा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर संहित जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी तिल्दा-नेवरा

संघचालक डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना ने मीडिया से चर्चा में बताया कि 12

से 14 मार्च को हरियाणा में अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक में आगामी रणनीति तय गई है. बैठक में 34 संगठनों के लोग मौजूद थे. कार्य विस्तार के लिए कार्यकर्ता लगे हुए हैं. सब तक संघ का कार्य पहुंचे

> न्यायालय नायब तहसीलदार अहिवारा, तहसील अहिवारा, जिला दुर्ग

उद्घोषणा रा.प्र.क./202303102800040/अ-65/ वर्ष

एतद् द्वारा सर्व साधारण को संचित किया जाता है कि... आवेदक ग्राम पंचायत चेटवा वि.ख. धमधा, जिला-दर्ग के द्वारा मौजा चेट्वा प.ह.नं. 44 रा.नि.मं. मरमंदा तहसील धमधा जिला दुर्ग स्थित घास भूमि खसरा नं. 134 रकबा 0.58 हे. भूमि को ग्राम के आवासहीन परिवार के बसाहट हेत आबादी भूमि घोषित किये जाने बाबत आवेदन पत्र इस यायालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या .संस्था को दावा आपत्ति पेश करना हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक वे माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 24.03.2023 तक पेश कर सकते हैं नियत अवधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07.03.2023 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एव न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किय

जारी दिनांक- 07.03.2023

पेशी दिनांक- 24.03.2023

बन्नी। (2) श्री अविनाश खन्नी पुत्र गोपी चंद खन्नी।

सर्वसाधारण को सूचित किया

नाम परिवर्तन

जाता है कि मैं मनोज कुमार नायडू

पिता सुब्बैया दिलीप कुमार नायडू

निवासी महावीर पार्क कालोनी,

मचेवा, जिला महासमुद (छ.ग.)

493445 यह शपथ करता हूं कि

मेरे पुत्र का पुराना नाम उत्कर्ष

मनोज कुमार पिता मनोज कुमार

नायडू को त्याग कर नया नाम

उत्कर्ष नायडू पिता मनोज कुमार

नायडू रख लिया हूं। अत: आज से

मेरे पुत्र को समस्त शासकीय,

अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में

उसके नए नाम उत्कर्ष नायडू पिता

मनोज कुमार नायडू से ही जाना

मनोज कुमार नायडू

महावीर पार्क कालोनी,

मचेवा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

493445

पहचाना जावे।

स्थानः रायप्र

महिला पर्ववेक्षकों का धरना जारी

रायप्र (असं)। वेतन विसंगति दूर करने के लिए 30 साल से उपेक्षित महिला पर्यवेक्षकों का राज्य स्तरीय धरना बढा तालाब धरना स्थल में जारी है. महिला बाल विकास के महिला पर्यवेक्षक कल्याण संघ के बैनर तले ये हड़ताल जारी है.

न्यायालय तहसीलदार पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) नोटिस सूचना पत्र

क्रमांक/वाचक/ना.तह./2023 पामगढ, दिनांक 15.03.2023

इसके लिए भी काम किया जा

क्टुंब प्रबोधन पर विशेष ध्यान

दिया जाएगा. पर्यावरण पर भी

फोकस किया जा रहा है. जीवन

में स्वदेशी का भाव आए. उन्होंने

कहा कि छत्तीसगढ़ में संघ का

कार्य प्रगति पर है. छत्तीसगढ़ में

अभी 1142 स्थानों पर शाखाएं

लग रही है. देश की स्थिति के

बारे में भी बैठक में चर्चा की गई.

देश प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा

है, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति

नाम परिवर्तन

किया जाता है कि मैं पुराना

नाम मंजू शारदा गुप्ता

पति बैद्यनाथ गुप्ता

सर्वसाधारण को सूचित

अपना पुराना नाम को

निवासी/पता एचपी पंप

रख लिया हूं। अतः

अब मुझे भविष्य में समस्त

शासकीय, अर्धशासकीय

व अन्य दस्तावेजों में नया

जाना एवं पहचाना जाए।

ज्ञाम परिवर्तन

जाता है कि मैं मनोज कुमार नायड़

पिता सुब्जैया दिलीप कुमार नायडू

निवासी अहावीर पार्क कालोनी,

मचेवा, जिला महासमुद (छ.ग.)

493445 बह शपथ करता हूं कि

मेरे पुत्र का पुराना नाम उदभव

मनोज कुआर पिता मनोज कुमार

नायडू की त्याग कर नया नाम

उद्भव नायडू पिता मनोज कुमार

नायडू रख लिया हूं। अत: आज से

मेरे पुत्र को समस्त शासकीय,

अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में

उसके नए नाम उद्भव नायडू पिता

मनोज कुमार नायडू से ही जाना

मनोज कुमार नायडू

महाबीर पार्क कालोनी,

मचेवा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

पहचाना जावे।

सर्वलाधारण को सूचित किया

पति बैद्यनाथ गुप्ता से

बदलकर नया नाम शारदा

गुप्ता पति बैद्यनाथ गुप्ता

के बगल में

नाम शारदा गुप्ता

सार्वजनिक सूचना

नये भागीदारों के प्रवेश और प्राने भागीदारों की खेवानिवृद्ति की सूचना

पर्वजनिक सूचना एतद्वारा दी जाती हैं कि श्री किशोर कुमार जैन (पुत्र स्य. फ़क़ीर चंद जैन),

श्री राजेंद्र कुमार गाँधी (पुत्र श्री पूरणमल मुलताबंद गाँधी), श्री अनुप कुमार मुंधरा (पुत्र श्री

जरतन मुंधरा), श्री राजेश लखोटिया (पुत्र स्व. श्री बालकिलान लखोटिया) और श्री जुगत

कशोर चांडक (पुत्र स्व.श्री मोहनलाल जी चांडक) के बीच " श्री जी लोजिस्टिक्स " के नाम और

ोती के तहत रियल एस्टेट और सम्बन्धी काम का व्यवसाय चल रहा है जिसका पता डी / 266

एँम आर कॉलोनी, रायपुर - 492001 हैं। जिसे 17 मई 20 6 को निष्पादित किया गया

ग्रानिवृद्ति के साथ संशोधन किया गया जिसका विवरण नीचे किए गए अनसार हैं.-

झोदारी विलेख में 30 सितम्बर, 2022 को नए भागीदारों के अवेश एवं पुराने भागीदारों की

वानिवृत्त भागीदार: (1) श्री अनूप कुमार मुंधरा (पुत्र श्री कृजरतन मुंधरा), (2) श्री राजेश

मखोटिया (पुत्र स्व. श्री बालकिशन लखोटिया), (3) श्री जुगल किशोर चांडक (पुत्र स्व. श्री

हिनलाल जी चांडक), आगंतुक / आवक भागीदार: (1) श्री मनोहर खत्री पुत्र श्री गोपी चंद

में भी देश आगे बढ़ रहा है.

डॉ. सक्सेना ने कहा कि

दिलेश कुमार पिता बालकरण देवेन्द्र कुमार पिता बालकरण, चनेश्वर प्रसाद पिता मेदनी प्रसाद, चिंताराम पिता मेदनी प्रसाद राजकुमारी पिता मेदनी प्रसाद सभी जाति कुर्म नेवासी जेवरा तहसील पामगढ़ जिला जांजगा

व्यय:-न्यायालय में उपस्थित होने बाबत। उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कि न्यायालय नायब तहसीलदार पामगढ जिल जांजगीर चांपा छ.ग. में आवेदकगण मोहित राम, संतोष पिता गणेश राम जाति केंवट साकि जेवरा तहसील पामगढ़ जिला जांजगीर चां छ.ग. द्वारा ग्राम जेवरा प.ह.नं. ०५ तहसी गमगढ़ में अवस्थित ख.नं. 685/1 में से एकव क्रमशः 0.46 एकड़ भूमि को पंजीकृत बिक्री पत्र के आधार पर अपने के नाम पर नामांतर कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त भूमि का नामांतरण इस न्यायालय में दिनांक 27.03.2023 के सुनवाई है। इस हेतु आपको सुचित किया जात कि उक्त दिवस को न्यायालय नाय-तहसीलदार पामगढ़ में सुबह 10 बजे उपस्थि होवें। उपस्थित नहीं होने की दशा में आपरे विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। नायब तहसीलदा पामगढ

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शुभम भट्टाचार्य पिता चिन्मय भट्टाचार्य निवासी बी-703, वालफोर्ट भाटागांव, रायपुर 492013 यह शपथ करता हूं कि मैने अपना पुराना नाम को त्याग कर नया नाम शुभम चिन्मर भट्टाचार्य पिता चिन्मय भट्टाचार्य रख लिया हूं। अत: आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम शुभम चिन्मय भट्टाचार्य पिता चिन्मय भट्टाचार्य से ही जाना पहचाना जावे।

श्भम चिन्मय भट्टाचार्य

बी-703, वालफोर्ट हाइट्स, भाटागांव, रायपुर (छ.ग.) 492013

ायालयं तहसीलदार मंदिर हसौद तहसील मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ग्राम बरौदा प.ह.नं. 17 रा.नि.मं. पर्लीद हसील मंदिर हसौद, जिला रायपुर

ग.प्र.क्र./ब-121/वष 2022-202

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि आवेदक अमरचंद मनोज कमार, भोजकमार, दलारी बाई पिसरान पुजेरी कुंवर बाई बेवा पुजेरी निवास ग्राम बरौंदा तहसील मंदिर हसौद जिला-रायपुर स्थत भूमि खसरा नंबर 201/1, 201/9 रकर 0.0800, 0.0500 हे. भूमि जो आवेदकगण वे नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज है। आवेदक के द्वारा आवेदित भूमि के विक्रय के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो सहपत्र सहित अपर कलेक्टर रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किय गया है, जो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग के माध्यम से जांच एवं प्रतिवेदन हेतु इस

न्यायालय को प्राप्त हुआ हैं। अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति संस्था को दावा आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 17.04.2023 तक स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से आंपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाट पाम दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16.03,2023 क मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

मंदिर हसौद

अमृत संदेश । रायपुर विधानसभा में शुक्रवार को मंत्री रविन्द्र चौबे के विभागों पर अनुदान मांगों पर चर्चा हुई. जिसमें मंत्री चौबे ने भी वक्तव्य दिया. फिर चर्चा पूरी होने के बाद अनुदान मांगों का प्रस्ताव ध्वनि

सीएम ने भी भाजपा से पीएम आवास के आंकड़े सौंपने की बात कही. मुख्यमंत्री भूपेश ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आपकी (भाजपा) सरकार ने जीतने भी सर्वे कराए हैं, उन आंकड़ों को हमकों दे दीजिए. वेरीफाई करा लेता हूं. भेट-मुलाकात में बहुत लोगों ने कहा आवास तो है पर परिवार बड़ा हो गया है और आवास चाहिए. सीएम ने कहा कि शौचालय और उज्ज्वला

योजना का भी सर्वे कराएंगे. रीपा

नाम परिवर्तन नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं परविन्दर पाल कौर (PARVINDAR PAL KAUR) पति भगवान सिंह निवासी क्वा. नं. 2/एफ, स्ट्रीट-54, सेक्टर-06, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन 490006 यह शपथ करती हूं कि मैने अपना पुराना नाम को त्याग कर नया नाम परविन्दर पाल कौर (PARVINDER PAL KAUR) पति भगवान सिंह रख ली हूं। अत: आंज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम परविन्दर पाल कौर (PARVINDER PAL KAUR) पति भगवान सिंह से ही जाना पहचाना

परविन्दर पाल कोर (PARVINDER PAL KAUR)

क्वा. नं. २/एफ, स्ट्रीट-54, सेक्टर-06, भिलाई, जिला दुर्ग '(छ.ग.) पिन 490006

न्यायालय तहसीलदार मंदिर हसौद तहसील मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ.ग.) र्डश्तहार

ग्राम बरौदा प.ह.नं. 17 रा.नि.मं. पलौद तहसील मंदिर हसौद, जिला रायपुर

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक लक्ष्मीबाई, पदमनी पिता दुलार निवासी ग्राम बरौंदा तहसील मंदिर हसौद जिला-रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 201/8 रकबा 0.0500 है. भूमि जो आवेदिका के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज है। आवेदक के द्वारा आवेदित भूमि के विक्रय के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो सहपत्र सहितं अपर कलेक्टर रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग के माध्यम से जांच एवं प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है अतएव इस संबंध में जिस

किसी व्यक्ति संस्था को दावा आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 17.04.2023 तक स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16,03,2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके माध्यम से छत्तीसगढ के गावों को कुटीर उद्योग का केंद्र बनाया जाएगा. सी-मार्ट मील का पत्थर साबित होगा. अनुदान मांगों की चर्चा के

रायपुर, शनिवार 18 मार्च 2023

पीएम आवास को लेकर पक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक

मुख्यमंत्री ने भाजपा से

मांगे सर्वे के आंकड़े

दौरान मंत्री चौबे ने कहा कि 17

मत से पारित कर दिया गया. रविंद्र चौबे के वक्तव्य के बीच

लोगों ने अपना वक्तव्य दिया कुछ रचनात्मक कुछ आलोचनात्मक. इस बजट सत्र की अवधी को लेकर आपने कहा, आप बैठेंगे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागने जैसी कोई स्थिति नहीं है, प्रतिपक्ष का हम सम्मान करते हैं. आपको तो

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं एस. एल. जैन पिता एफ. आर. जैन निवासी 166 लालबाग वार्ड नं. 8 सनसिटी जगदलपुर बस्तर (छ.ग.) यह शपथ करता हूं कि मैने अपन पुराना नाम को त्याग कर नया नाम शांति लांल जैन पिता एफ.आर. जैन रख लिया हूं। अत: आज से समस्त अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम शांति लाल जैन पिता एफ.आर. जैन से ही जाना पहचान

शांति लाल जैन 166 लालबाग वार्ड नं. 8

सनसिटी जगदलपुर बस्तर

(छ.ग.)

पायालय तहसीलदार मंदिर हसौद तहसील मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ.ग.)

र्डश्तहार

ग्राम बरौदा प.ह.नं. 17 रा.नि.मं. पलौद तहसील मंदिर हसौद, जिला रायपुर एतद द्वारा सर्वसाधारण को

प्रचित किया जाता है कि आवेदक आशीष पिता खोरबाइरा निवासी गाम बराँदा तहसील मंदिर हसौद जिला-रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 201/3 रकबा 0.0800 है. भीम जो आवेदक के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज है। आवेदक के द्वारा आवेदित भूमि के विकय के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो महपत्र सहित अपर कलेक्टर रायपर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो अनविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग के माध्यम से जांच एवं प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति संस्था को दावा आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 17.04.2023 तक स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम र आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं

आज दिनांक 16.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार

चौबे बोले- जिसे जरुरत होगी उसे हमारी सरकार देगी आबास वहां बैठे साढ़े चार साल हो हुए हैं, हम तो 18 साल वहां बैठें हैं. 15 साल छत्तीसगढ़ और तीन साल अविभाजित मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने लोगों की जेब में पैसा डाला- चौबे

> रविंद्र चौबे ने कही कि हमारी पूरी इकॉनोमी कृषि पर ही आधारित हैं. बीजापुर में पूरे साल भेर में तीन या चार ट्रैक्टर की बिक्री होती थी. लेकिन वहां आज 10 टैक्टर शो रूम खुल गए हैं. छत्तीसगढ़ किसानों, मजदूरों की

न्याय योजना के जरिए सरकार ने 01 लाख 60 हजार करोड़ की राशि दी है. सीएम भूपेश बघेल ने लोगों की जेब में पैसा डाला है 2019 से अभी के बजट में 30 है की वृद्धि कृषि, उद्यानिको और पशुपालन में हुई है.

शपथ-पत्र

में आयशा बानो, (अंग्रेजी में AYASHA BANO) पति भोहम्मद अशफाक, उम्र 27 वर्ष, निवासी ह वार्ड 13 बेमेतरा रोड, सिमगा, जिल बलौदा बाजार, छ.ग. निम्न लखितै कथन शपथपूर्वक करता हूँ शपथकर्ता निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन पेश करता हूँ कि-यह कि मेरा नाम व पता

उपरोक्तानसार है। 2. यह कि मेरा नाम आयशा बानो, अंग्रेजी में AYASHA BANO) मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है। 3. यह कि विवाह से पूर्व मेरा नाम आयशा दनवानी (अंग्रेजी मे AYASHA DANVANI) था, जो कि मेरे सभी अंकसूची में अंकित है, जिसे कि मेरे द्वारा पासपोर्ट बनवाने के वक्त उपरोक्तानुसार विबाह पश्चाल नाम आयशा बानो (अंग्रेजी में AYASHA BANC) दर्ज किया जावे ।

> शपथकर्ती आयशा बानो

निवासी - वार्ड 13 बेमेतरा रोड, सिमगा, जिला बलौदा बाजार, छ.गः।

यायालय नहसीलटार मंदिर हसीट नहसील मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ. ग.) ईश्तहार

/वर्ष 2022-ग्राम बरौदा प.ह.नं. 17 रा.नि.मं. पल्तीद तहसील मंदिर हसौद, जिला रायपुर

स्चित किया जाता है कि आवेदक धन्तुः धनंजय पिता सुधार निवासी ग्राम बरौँद तहसील मंदिर हसौद जिला-रायपुर स्थित भमि खसरा नंबर 201/1, 201/4, 201/5, 201/7 रकबा 0.1200, 0.0200, 0.0900 0.0800 हे. भूमि जो आवेदकगण के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज है। आवेदक के द्वार् आवेदित भूमि के विक्रय के सबंध में आवेदन पत्र प्रस्तत किया है, जो सहपत्र सहित अपर कलेक्टर रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो अनुविभागीय आधिकार (रा) आरंग के माध्यम से जांच एवं प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति संस्था को दावा आपनि हो से वे इस न्यायालय में दिनांक 17.04.2023 तक स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम सं आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार

वलासीफाइड

त्यापार आमत्रण

दोना पत्तल के मशीनों के निर्माता । पेपर, डाईया, हीटर हाइड्रोलिक मशीन के विक्रेता संपर्क करें:-

नेहरु नगर, चांदनी चौक, रायपुर मो.98271-65252 8966998866

सूचना-किसी भी विज्ञापन में किये गये दावों एवं प्रस्तावों के संबंध में प्रेस प्रबंधन एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है और विज्ञापनदाता व पाठक के बीच हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार सा लेन-देन कि जिम्मेदारी प्रेस प्रबंधन/ कर्मचारी की नहीं होगी। अतः विज्ञापन के आधार पर विज्ञापनदाता से किसी भी प्रकार का व्यवहार करने से पूर्व, पाठक पूर्ण जानकारी लेवें व स्वयं विवेक से निर्णय लेकर ही लेन देन करें।

प्रतिदिन आवश्यकता की देशी जड़ी बुटी से निर्मित औषधी

ॐ रामबाण तेल दुरुवो के नहीं ने क्यानेरी के लिये गानिया का तेत नहीं ने संबंधित दर्द, कोई साइड इंक्टर नहीं कंतचेतियों का दर्द रहे लक्ष्य में सीध अलस्कारक

एवं बात जोड़ो का दर्द एवं लकव में रामबाण असरकारी तेल ॐमहाकाल दीर्घायु चूर्ण

मुटने, कंधे, गर्दन, कलाई

जायकेदार स्वादिष्ट, गैस एवं पेट साफ करने की असरकारक औषधि सुबह को बनाये स्वस्थ्य एवं स्फूर्तिमय

एजिमा (बेमची), बवासीर, केंद्रवा खाया

निर्माताः ज्योति ब्रदस

कालोनी खम्हारडीह शंकर नगर रायपुर मो: 97706-36936, 98271-54804 संयपुर काळाजी की दुकान भनोज गुप्ता अडीवुटी दुकान भानु गुप्ता संतीय स्टार लोन लेने के लिए *ITR* बनवाए मात्र 500/ रू. में जी.एस.टी. रिटर्न FOOD लायतीय MSMEरजिस्ट्रेशन इनकम TAX फाईल TOS रिफन्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिजिटल सिगनेवर । नोटिस

SHUTE THE WAR ONLY TOUS CON हमारे TAX FXPERT आपकी मदद करने हेत् तैलार 9300755544, 8878655544

निराश गुप्त रोगी ध्यान दे

नीम हकीमों के चक्कर में पड़कर अपना कीमती समय और शरीर बर्बाद ना करें। योख विकित्सक से ही ईलाज कराये- स्वान दोष, शीघ्र पतन, नपुंसकता, मधामहे स्नायु दौर्वत्य आदि का स्वायी इलाज पूर्ण विश्वास के साव मिलें वा लिखें:-

डॉ. राजकुमार सोनी

B.A.M.S (R.S.U), C.C.H & C.G.O.(Mumbai), LLB., B.J.M.C. D.A.F.E., D.N.H.E., (Delhi), GOVT, REG NO. C.G. 000890

स नना विलिनेक परस्वता शिष्य परित्र पार्ग नेवरा । रेल्वे स्ट्रेपान 🐚 जिला ११ पर । छ ग । मो १६९ १५० र र

नोट:-सिकलिंग, पथरी, बवासीर व अन्य व्याधियों का शर्तिया इलाज, शराब छुड़ाने की दवा उपलब्ध, दवा डा़क से भिजवाने की सुविधा

कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर (जोन क्र.-3) आई.प्स.बी.टी चतुर्व तल, ग्रवणभादा, ग्रवण Email ID- mczone3@gmail.com पत्र कं./ 1896/ल.पाजि./जोन कं.-6/2023 आई.एस.बी.टी चतुर्व तल, रावणभाठा, रायपुर

रायपुर, दिनांक १६.०३.२०२३ इश्तिहार ागांतरण प्र.क. 1896 वार्ड का नाम- 34 लाल बहादुर वार्ड एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 3 भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी.

RPR333B00193 जो कि निगम अभिलेख र्व श्री/श्रीमती SHASHI BHUSHAN SAW पिता/पति श्री/श्रीमती .. नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती VINITA KADIAN पिता/पति श्री/श्रीमती W/O PANKAJ KADIAN मृत्यु प्रमाण पत्र, सहमति पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री के विलेख के अनुसार / .. वंशानुक्रम /अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नग पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के हत् नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन मे हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दि क भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त दाव /अपित पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नही की जावेगी जिसके लिये यह कार्यालय जिम्मेदा नहीं होगा

> सूचना जारी करे। श्री राकेश शम (जोन कमिश्नर जोन क.3 नगर पालिक निगम, रायपु

कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर (जोन कं.-6) आई.एस.बी.टी चतुर्ध तल, रावणभाठा, रायपु Email ID- rmczone6@gmail.com पत्र के./ १५९९/न.पा.नि./जोन के.-६/२०२३ रावपुर, दिनांक १४.०३.२०२३ इश्तिहार

नामांतरण प्र.क. 1599 वार्ड का नाम- 60 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 6 भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी RPR653H00113 जो कि निगम अभिलेख श्री/श्रीमती KAUSHILYA BAI YADAN ग्रंपित श्री/श्रीमती LATE. KASHIRAM YADAV नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीम BHANU SHANKAR YADAV त्री/श्रीमती LATE KASHIRAM YADAV ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सहमति पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र बानामा, रजिस्ट्री के विलेख के अनुसार अपंजीकृत बटवारानामा/पारिवारिक व्ययवस्था पत्र वंशानुक्रम /अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगः पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 तहत् नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन मे हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दि भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपी प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त दाव /अपित पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं

> सचना जारी करे। श्री ए. के. हलदा (जोन कमिश्नर जोन क. नगर पालिक निगम, रावपुर

की जावेगी जिसके लिये यह कार्यालय जिम्मेदा

कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर (जोन क्र.-6) आई.एस.बी.टी बतुर्व तल, सवणभाठा, सवपुर Email 10- mczone6@gmail.com पत्र कं./ १९३०/न.प.नि./जोन कं.-६/२०२३ रायपुर, दिनांक १४.०३.२०२३ इश्तिहार नामांतरण प्र.क. 1930

वार्ड का नाम- 60 चन्द्रशंखर जाजाद वार्ड

एतद् द्वारा स्थित किया जाता है कि वार्ड 60 थत भवन भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. RPR652F 01266 जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती MAYANK THAKUR पिता/परि त्री/श्रीमती MOTI SINGH THAKUR नाम से दर्ज है, जिलको श्री/श्रीमती PRIYANSHI पिता/पति श्री/श्रीमती W/O KULDEEP GUPTA ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सहमति पत्र, जापथ पत्र, दान पत्र, र्राजस्ट्री के जिलेख के अनुसार / पंजीकृत विकर विलेख / वंशानुक्रम /अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर गर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत् नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित गरिवर्तन में हका या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्तिः प्रस्तुतं करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा /असिति पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी जिसके लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा

सूचना जारी करे । श्री ए. के. हलवा (जोन कमिश्नर) जोनं क्र. नगर पालिक निगम, रायपुर

दोना पताल मशीन

दिल्ली दोना पत्तल मशीनरी

ॐ महाकाल तेल र्शतकारण के रूप रेव सम्बद्ध केट रही की अधिक करतेरी के जिए निसंब के संबंध को

% महाकाल गैसानावटी+ गैस से ख़ती दर्द, पेट फुलना, बेवैनी, उल्टी जी मचलाना, आदि में लाभरायक औषधि सुब्द को बनाये स्वस्थ्य एवं स्कृतिमय

अमहाकाल बटा ष्टने, कंधे, गर्दन, कलाई एवं बात जोड़ो का दर्द एवं लकवा

कल्याण पब्लिक स्कूल के पास, गणेश निवास, वृंदावन

कोड़, एड़ी फटना, सफेद चक्ते, चर्मरोग, फोड़ा- फुंसी, खाज- खुजली में असरकारव

क्रकरः भुवन पूजा किराया भेडारः सदरे वाजारः तारामा (क्रांकरः) तलीदावाजारः संजीवनी/गुप्ता जडीः बुटी दुकान गांधी चीकः बलौदावाजार



think! cement' sugar' refractories power

24 05 2013

To,

Regional Officer,

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Integrated Regional Office, Aranya Bhawan, North Block, Sector-19, Atal Nagar,

Naya Raipur - 492002 (Chhattisgarh)

Environmental Clearance of Proposed project "Proposed Integrated Cement Project - Clinker (3.25 MTPA), Cement (2.5 MTPA), WHRS (15 MW) and D.G. Set (1000 KVA) At Kharora, Tehsil: Kharora (Earlier Tilda), District: Raipur (Chhattisgarh)" of M/s Dalmia Cement (Bharat) Ltd. -Submission of Compliances of EC under 'General Condition X (i) & (ii)' Reg.

1. Environmental Clearance (EC) granted by MOEFCC, Govt. of India vide EC Identification Ref: No. - EC23A009CG198000; File No. - IA-J-11011/163/2019-IA-II(IND-I) dated 16/03/2023.

Dear Sir,

With reference to the above-mentioned subject, we would like to mention that Environmental Clearance has been granted for our proposed project as cited above by MoEF&CC, Govt. of India vide EC Identification No.- EC23A009CG198000, File No. IA-J-11011/163/2019-IA-II(IND-I) Dated 16/03/2023.

We have published a public notice informing the grant of EC for the project in two newspapers namely "Chhattisgarh Watch (Hindi)" and "Amrit Sandesh (English)" on 18.03.2023 in compliance of EC Condition mentioned under Sub-Section X "Miscellaneous" Sn. i (Page no 12 of 17) of Section B "General Conditions". Copy of same is enclosed as Annexure I.

It is also to mention that copy of the EC is available on Company's website https://www.dalmiacement.com.

A Copy of Environmental Clearance has been submitted to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government in compliance of EC Condition mentioned under Sub-Section X "Miscellaneous" Sn. ii (Page no 12 of 17) of Section B "General Conditions". Copy of acknowledgement receipts of same are as Annexure II.

Submitted for kind information, record and necessary compliance as per the stipulated conditions.

Thanking You.

Yours faithfully, For Dalmia Cement (Bharat) Ltd.

(V. Karthikeyan)

Deputy Executive Director

Encl: As above

Dalmia Cement (Bharat) Limited

11th & (2th Floors, Hensalaya Bunding, 15-Beackhombe Road, New Delbi-140 901, India 91 II 23465100 [31 II 2311330] a systemma comercion (TN) 965191 EN 966PLC 9689 Vegesord (18) - Danmaparan, Disc Between path, home Vada 621 651, India

Calmia Bharat Group simpoly, sweedshillmine on



House critical longue refractation process

Date: 17.03.2023

To, The District Collector, Office of District Collector, Raipur - 492002 (Chhattisgarh)

Sub: Environmental Clearance of Proposed project "Proposed Integrated Cement Project - Clinker (3.25 MTPA), Cement (2.5 MTPA), WHRS (15 MW) and D.G. Set (1000 KVA) At Kharora, Tehsil: Kharora (Earlier Tilda), District: Raipur (Chhattisgarh)" of M/s Dalmia Cement (Bharat) Ltd. — Submission of Copy of EC in Compliance of EC 'General Condition X(ii)' Reg.

Ref: 1. Environmental Clearance (EC) granted by MOEFCC, Govt. of India vide EC Identification No. - EC23A009CG198000; File No. - IA-J-11011/163/2019-IA-II(IND-I) dated 16/03/2023.

Dear Sir.

With reference to the above-mentioned subject, we would like to mention that Environmental Clearance has been granted for our proposed project as cited above by MoEF&CC, Govt. of India vide EC Identification No.- EC23A009CG198000, File No. IA-J-11011/163/2019-IA-II(IND-I) Dated 16/03/2023.

A Copy of Environmental Clearance is being submitted herewith in compliance of EC Condition mentioned under Sub-Section X "Miscellaneous" Sn. ii (Page no 12 of 17) of Section B "General Conditions", which read as: -

"The capies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt."

Submitted for kind information, record and necessary compliance as per the stipulated condition. It is also to mention that copy of the EC is available on Parivesh Portal of Ministry of Environment Forest and Climate Change. (https://parivesh.nic.in/)

Thanking You

Yours faithfully,

For Dalmia Cement (Bharat) Ltd.

(V. Karthikevan)

Deputy Executive Director

Encl: As above

Dalmia Cement (Bhurat) Limited



arrante comuni vacun referencioses powers

Date: 17.03.2023

To, District Trade and Industry Center Raipur - 492002 (Chhattisgarh)

Sub: Environmental Clearance of Proposed project "Proposed Integrated Cement Project - Clinker (3.25 MTPA), Cement (2.5 MTPA), WHRS (15 MW) and D.G. Set (1000 KVA) At Kharora, Tehsil: Kharora (Earlier Tilda), District: Raipur (Chhattisgarh)" of M/s Dalmia Cement (Bharat) Ltd. – Submission of Copy of EC in Compliance of EC 'General Condition X(ii)' Reg.

Ref: 1. Environmental Clearance (EC) granted by MOEFCC, Govt. of India vide EC Identification No. - EC23A009CG198000; File No. - IA-J-11011/163/2019-IA-II(IND-I) dated 16/03/2023.

Dear Sir,

With reference to the above-mentioned subject, we would like to mention that Environmental Clearance has been granted for our proposed project as cited above by MoEF&CC, Govt. of India vide EC Identification No.- EC23A009CG198000, File No. IA-J-11011/163/2019-IA-II(IND-I) Dated 16/03/2023.

A Copy of Environmental Clearance is being submitted herewith in compliance of EC Condition mentioned under Sub-Section X "Miscellaneous" Sn. ii (Page no 12 of 17) of Section B "General Conditions", which read as: -

"The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt."

Submitted for kind information, record and necessary compliance as per the stipulated condition. It is also to mention that copy of the EC is available on Parivesh Portal of Ministry of Environment Forest and Climate Change. (https://parivesh.nic.in/)

Thanking You

Yours faithfully,

For Dalmia Cement (Bharat) Ltd.

Deputy Executive Director

Encl: As above

STORY TO SEPTEMBE

Dalmin Cement (Bhurat) Limited

Compared to the second of the



THINK THERE MAJOR 10/12/10/10 TO BOWEL

Date: 17.03.2023

To, Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Raipur - 492002 (Chhattisgarh)

Sub: Environmental Clearance of Proposed project "Proposed Integrated Cement Project - Clinker (3.25 MTPA), Cement (2.5 MTPA), WHRS (15 MW) and D.G. Set (1000 KVA) At Kharora, Tehsil: Kharora (Earlier Tilda), District: Raipur (Chhattisgarh)" of M/s Dalmia Cement (Bharat) Ltd. – Submission of Copy of EC in Compliance of EC 'General Condition X(ii)' Reg.

Ref: 1. Environmental Clearance (EC) granted by MOEFCC, Govt. of India vide EC Identification No. - EC23A009CG198000; File No. - IA-J-11011/163/2019-IA-II(IND-I) dated 16/03/2023.

Dear Sir,

With reference to the above-mentioned subject, we would like to mention that Environmental Clearance has been granted for our proposed project as cited above by MoEF&CC, Govt. of India vide EC Identification No.- EC23A009CG198000, File No. IA-J-11011/163/2019-IA-II(IND-I) Dated 16/03/2023.

A Copy of Environmental Clearance is being submitted herewith in compliance of EC Condition mentioned under Sub-Section X "Miscellaneous" Sn. ii (Page no 12 of 17) of Section B "General Conditions", which read as: -

"The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt."

Submitted for kind information, record and necessary compliance as per the stipulated condition. It is also to mention that copy of the EC is available on Parivesh Portal of Ministry of Environment Forest and Climate Change. (https://parivesh.nic.in/)

Thanking You

Yours faithfully,

For Dalmia Cement (Bharat) Ltd.

(V. Karthikeyan)

Deputy Executive Director

Encl: As above

जिला पंचायत रायपुर (छ.म.) १० NAR २०२३ स्क्रिस्ट्री मुका.ज. पु.ले.



Punk symen sugar refractaries power

Date: 17.03.2023

To, Chief Officer, Nagar Panchayat, Kharora, Raipur

Sub: Environmental Clearance of Proposed project "Proposed Integrated Cement Project - Clinker (3.25 MTPA), Cement (2.5 MTPA), WHRS (15 MW) and D.G. Set (1000 KVA) At Kharora, Tehsil: Kharora (Earlier Tilda), District: Raipur (Chhattisgarh)" of M/s Dalmia Cement (Bharat) Ltd. – Submission of Copy of EC in Compliance of EC 'General Condition X(ii)' Reg.

Ref: 1. Environmental Clearance (EC) granted by MOEFCC, Govt. of India vide EC Identification No. - EC23A009CG198000; File No. - IA-J-11011/163/2019-IA-II(IND-I) dated 16/03/2023.

Dear Sir,

With reference to the above-mentioned subject, we would like to mention that Environmental Clearance has been granted for our proposed project as cited above by MoEF&CC, Govt. of India vide EC Identification No.- EC23A009CG198000, File No. IA-J-11011/163/2019-IA-II(IND-I) Dated 16/03/2023.

A Copy of Environmental Clearance is being submitted herewith in compliance of EC Condition mentioned under Sub-Section X "Miscellaneous" Sn. ii (Page no 12 of 17) of Section B "General Conditions", which read as:

"The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt."

Submitted for kind information, record and necessary compliance as per the stipulated condition. It is also to mention that copy of the EC is available on Parivesh Portal of Ministry of Environment Forest and Climate Change. (https://parivesh.nic.in/)

Thanking You

Yours faithfully,

For Dalmia Cement (Bharat) Ltd.

(V. Karthikeyan)

Deputy Executive Director

Encl: As above

